प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2023
प्र.इ.रि.स. 131/2023 दिनांक 27/5/2023
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 529 समय 3:30 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः शुक्रवार दिनांक 26.05.2023 समय 11.55 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 24.05.2023
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 525 किलो मीटर
(ब) पता : कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा।
........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या..................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री विनोद खेर भोई
(ब) पिता – श्री छितरमल भोई
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 42 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .... –...................... जारी होने की तिथि.................................
जारी होने की जगह......... –...
(र) व्यवसाय – मजदुरी
(छ) पता – कालिका माता मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 38 बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री दिपक डिन्डोर पिता श्री लालसिंह डिन्डोर उम्र 32 वर्ष निवासी गांव मेराना पोस्ट खुन्दनीहाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 3,000/– रूपये
11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्ति पन्ना लगावे)–
सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बांसवाडा।
विषयः– श्री दीपक डिन्डोर अनुजा निगम अधिकारी बांसवाडा द्वारा लोन पास करने के एवज में रिश्वत मांगने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी विनोद खेर भोई पिता श्री छितरमल भोई जाति भोई निवासी कालिका माता मन्दिर के पीछे वार्ड नम्बर 38 बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा का रहने वाला हूं। मैने अनुजा निगम विभाग बांसवाडा में वर्ष 2019 में किराणा स्टोर हेतु ओबीसी वर्ग (विकलांग कोटे) से आवेदन पत्रावली जमा करवाई, गई। इसके बाद लोन हेतु बार–बार अनुजा विभाग के तत्कालीन अधिकारी एवं संबधित कार्मिक से सम्पर्क किया परन्तु मेरा लोन पास नही किया और चक्कर कटवाते रहे। लोन के संबध में दिनांक 24.02.2023 को अनुजा विभाग बांसवाडा गया तो वहां पर श्री दीपक डिन्डोर अनुजा निगम अधिकारी ने मुझे कहा गया कि नया आवेदन कर दो लोन पास हो जायेगा जिस पर मैने दिनांक 25.02.2023 को नया आवेदन जमा करवा दिया। इसके बाद अनुजा निगम से 50 हजार का लोन स्वीकृत हुआ जिसकी प्रथम किस्त 30 हजार रुपये दिनांक 30.03.2023 को मेरे बैंक दी सेन्ट्रल कॉपरेटीव बांसवाडा में जमा हुए। इसके बाद मैने बकाया लोन हेतु कई बार सम्पर्क किया तो अनुजा

निगम के अधिकारी श्री दिपक डिन्डोर द्वारा लोन स्वीकृत करने एवं बकाया किस्त जमा कराने हेतु 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मैने काफी हाथाजोडी की पर वह नही मान रहे है और रिश्वत राशि देने के बाद ही बकाया किस्त जारी करने का कहा गया है। मैं भ्रष्ट अधिकारी दिपक डिन्डोर को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, कानूनी कार्यवाही करावें तथा आवेदन दस्तावेजों की छायाप्रतियां संलग्न है।

सही/–
(विनोद खेर भोई)
मो0न0– 9571725542

दिनांकः 24.05.2023

कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा

दिनांक 24.05.2023 समय 12.40 पीएम पर श्री विनोद खेर भोई पिता श्री छितरमल भोई उम्र 42 वर्ष जाति भोई निवासी कालिका माता मन्दिर के पीछे वार्ड नम्बर 38 तहसील व जिला बांसवाडा ने ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–बशब्द सही होना व रिपोर्ट पर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि मैने अनुजा निगम विभाग बांसवाडा में वर्ष 2019 में किराणा स्टोर हेतु ओबीसी वर्ग विकलांग कोटे से आवेदन कर पत्रावली जमा कराई थी। इसके बाद कई बार चक्कर काटने पर भी लोन स्वीकृत नही हुआ। लोन से संबधी दिनांक 24.02.2023 को अनुजा विभाग बांसवाडा गया जहां पर श्री दीपक डिन्डोर अनुजा निगम अधिकारी मिले और उन्होने कहा कि नया आवेदन कर दो लोन पास हो जायेगा। जिस पर मैने दिनांक 25.02.2023 को ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन मय पत्रावली जमा कराई। जिस पर मेरे 50,000 रुपये का लोन स्वीकृत हुआ जिसकी प्रथम किश्त मेरे दी बांसवाडा सेन्ट्रल को–ऑप बैंक लिमिटेड बांसवाडा के बैंक खाता संख्या 1300910140010467 में 30,000 रुपये दिनांक 30.03.2023 को जमा हुए। इसके बाद बकाया लोन किश्त हेतु कई बार सम्पर्क किया तो अनुजा निगम के अधिकारी श्री दीपक डिन्डोर द्वारा लोन स्वीकृत करने एवं बकाया किश्त जारी करने हेतु 5,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, जो मैं उनको रिश्वत राशि नही देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। पूछताछ पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई ने यह भी बताया कि दीपक डिन्डोर से किसी प्रकार की कोई उधारी लेन–देन बाकीयात नहीं और ना ही किसी प्रकार आपसी रंजिश हैं। दरियाप्त पर मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक हैं। श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक से डिजीटल टेप रिकोर्डर मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकोर्ड के रख–रखाव व उसके संचालन की विधि पूर्णतया समझाई गई तथा ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया को बताने पर परिवादी श्री विनोद ने बताया कि श्री दीपक डिन्डोर अभी अनुजा निगम कार्यालय मे उपस्थित मिलेगें। जिस पर श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक का परिवादी श्री विनोद खेर भोई से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 01.10 पीएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा के लिये रवाना किया गया। समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई एवं श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आये। परिवादी ने डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूपुर्द कर बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा पहूंचे जहां पर श्री दीपक डिन्डोर उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिले। मैने अपने लोन स्वीकृत एवं बकाया किश्त के बारे में वार्तालाप की तो उनके द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई है और रिश्वत राशि लेकर आज शाम को ही बुलाया है। श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक ने भी परिवादी के द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की गई। डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो परिवादी व आरोपी श्री दीपक डिन्डोर के बीच परिवादी के लोन व रिश्वत मांग संबधी वार्तालाप हुई है परन्तु आरोपी द्वारा स्पष्ट रुप से परिवादी से रिश्वत मांग बाबत् वार्तालाप नही की गई। जिस पर पुनः मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि अभी रिश्वत संबधी वार्तालान करके आया हूं तो तुरन्त वापस जाने पर श्री दीपक डिन्डोर जी को शंका हो जायेगी। जिस पर सांयकाल 5.00 पीएम पर अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा पहूंचकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई तथा श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक को भी पुनः परिवादी के हमराह जाकर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा के लिये रवाना किया गया। समय 05.50 पीएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई एवं श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आये। परिवादी ने डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूपुर्द कर बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा पहूंचे जहां पर श्री दीपक डिन्डोर उपस्थित नही मिले। कार्यालय में श्री परख जैन कमप्युटर ऑपरेटर उपस्थित मिले जिनसें मैने श्री दीपक डिन्डोर के बारे में पुछा तो उन्होने ने कहा क्या काम है, क्यूं बुलाया है तो मैने कहा पेमेन्ट के लिये बुलाया है उनको देना है, कितने देने है इत्यादि मैने वार्तालाप की थी। इसके बाद मैने अपने मोबाईल नम्बर 9571725542 से श्री दीपक डिन्डोर के मोबाईल नम्बर 9166808313 पर कॉल किया तो उन्होनें मुझे कलेक्ट्री कार्यालय बांसवाडा के मुख्य द्वार पर बुलाया जिस पर मैं वहां गया तो उपस्थित मिले और उनसे रिश्वत मांग बाबत् वार्तालान की तो उनके द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग करते हुए अभी कितने लाया है पुछा तो मेरे पास 2,000 रुपये थे जो उनको दे दिये और बकाया

राशि 3,000 रुपये के लिये एक दिन बाद (दिनांक 26.05.2023) को लेकर बुलाया है। श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक ने भी परिवादी द्वारा बताया गये तथ्यों की ताईद की गई। डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो आरोपी श्री दीपक डिन्डोर द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी को ट्रेप कार्यवाही पूर्ण गोपनीयता बरतने की मुनासिब देते हुए दिनांक 26.05.2023 को समय 09.00 एएम पर रिश्वत 3,000 रुपये लेकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रुखसत किया गया। डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 25.05.2023 को समय 05.025 पीएम पर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बांसवाडा को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 26.05.2023 को समय 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 26.05.2023 समय 09.15 एएम पर तलबिदा शुदा गवाह श्री भरत दोसी व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नूतन बांसवाडा जिला बांसवाडा एवं श्री राजेन्द्र त्रिवेदी, वरिष्ठ अध्यापक, महात्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, नबीपुरा जिला बांसवाड़ा उपस्थित आये। समय 09.20 एएम पर तलबिदा शुदा परिवादी श्री विनोद खेर भोई मय रिश्वत राशि 3,000 रुपये लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया। समय 09.25 एएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री भरत दोसी एवं श्री राजेन्द्र त्रिवेदी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री विनोद खेर भोई व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 24.05.2023 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 24.05.2023 को दो बार आरोपी श्री दीपक डिन्डोर व परिवादी विनोद खेर भोई के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने से निकालकर कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव(LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री हरभजनसिंह कनिष्ट सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर में रखते हुए पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 11.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री दीपक डिन्डोर को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री विनोद खेर भोई से मांगने पर उसने अपने पास से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष 500–500 रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। समस्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर कार्यालय के मालखाना से फिनॉफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक नं. 657 से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनॉफ्थेलीन पाउडर श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक नं. 657 से लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाह श्री भरत दोसी से लिवाई गई तथा श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक नं. 657 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में अन्य कोई वस्तु नहीं छोडते हुए रखवाये गए। श्री राजेश कानि. नं. 555 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक नं. 657 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक नं. 657 से फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक नं. 657 व श्री राजेश कानि 555 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वत राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर पर हाथ फैर कर आरोपित को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक नं. 657 को सुपुर्द की जाकर मालखाने में रखवाकर श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक को ब्यूरो चौकी बांसवाडा पर रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि. से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गए। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.35 एएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई को रिश्वत लेन–देने के वक्त होने वाली वार्तालाप रिकोर्ड करने हेतु डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुये परिवादी को उसकी निजी थ्रीविलर मोपेड पर

एवं ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक तथा स्वतंत्र गवाहान श्री भरत दोसी, श्री राजेन्द्र त्रिवेदी को निजी मोटरसाईकलों पर एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कानि व पंकज कानि निजी प्राईवेट कार से ट्रेप बाक्स, लेपटोप मय प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से कार्यालय अनुजा निगम बांसवाडा के लिए रवाना हुए। समय 11.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने–अपने वाहनों में ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा कार्यालय अनुजा निगम बांसवाडा के पास पहूंचे, जहा पर परिवादी अपने थ्री विलर मोपेड से उतरकर अनुजा निगम कार्यालय के लिये रवाना हुआ। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान अपने–अपने वाहनों से उतर कर कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुए। समय 11.55 एएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई ने कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा के मुख्य द्वार पर आकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता के रवाना होकर परिवादी के पास पहूंचकर टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री दिपक डिन्डोर द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर पहनी हुई पेन्ट की जैब में रख दिये हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय हमराहियानों के परिवादी को हमराह लेकर अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा में प्रवेश किया तो उक्त भवन में एक भाग में कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा व एक भाग में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बांसवाडा का कार्यालय संचालित है। परिवादी के हमराह अनुजा निगम कार्यालय के एक कमरे में प्रवेश किया जहां पर एक टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यही श्री दीपक डिन्डोर अनुजा निगम अधिकारी है जिन्होने अभी–अभी मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर गिनते हुए अपनी पहनी पेन्ट की बांयी जैब में रखे है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वंय व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उसका पूर्ण नाम पता व पदनाम पुछा तो उसने अपना नाम दिपक डिन्डोर पिता श्री लालसिंह डिन्डोर उम्र 32 वर्ष निवासी गांव मेराना पोस्ट खुन्दनीहाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा होना बताया। आरोपी श्री दीपक डिन्डोर को परिवादी श्री विनोद खेर भोई से अभी–अभी 3,000 रुपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की गई है के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि श्री विनोद द्वारा अनुजा निगम विभाग बांसवाडा में माह फरवरी 2023 में ओबीसी वर्ग(विकलांग कोटे) से किराणा की दुकान हेतु आवेदन किया था जिस पर आवेदन पत्रावली की जांच उपरान्त उसकों 50,000 रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था तथा 30,000 रुपये प्रथम किश्त उसके बैंक खाते में ऑन लाईन जमा कराई गई है तथा अन्तिम किश्त जारी करने हेतु विनोद को किराणा की दुकान की सामग्री कय बिल व उसकी दुकान सहित उसका फोटो कार्यालय में पेश करने पर ही बकाया किश्त जारी की जानी थी। उक्त किश्त के सिलसिले में विनोद मुझसे मिला और कहा कि मैं विकलांग हूं बिल आप अपने स्तर पर लाकर फाईल में लगा देना एवं दुकान का फोटो बाद में दे जाउंगा। इस पर मौके पर परिवादी श्री विनोद ने कहा कि श्री दीपक डिन्डोर जी झूठ बोल रहे है उनके द्वारा मेरे लोन पास करने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की थी और दिनांक 24.05.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 2,000 रुपये रिश्वत राशि के ले लिये है और बकाया 3,000 रुपये रिश्वत राशि आज मुझसे ग्रहण किये है। मैने उनको किराणा के बिल के बारे में नही कहा था दीपक जी अपने बचाव के लिये कह रहे है। जिस पर दीपक डिन्डोर ने कुछ नही कहा। स्वतंत्र गवाह श्री भरत दोसी से आरोपी श्री दीपक डिन्डोर के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब की तलाशी लिवाई गई तो जैब में सिमटे हुए 500–500 रुपये के नोट बरामद हुए। उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये बरामद हुए। प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को श्री राजेश कुमार कानि. से मंगवाया जाकर प्रकिया अनुसार ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री दीपक डिन्डोर के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी दीपक डिन्डोर के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि 3,000 रुपयो पर एक कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री दीपक डिन्डोर द्वारा रिश्वत राशि 3,000 रूपये परिवादी से अपने हाथों से ग्रहण कर पहने हुए पेन्ट की बांयी जैब में रखे जो मौके पर बरामद की गई हैं। आरोपी के पेन्ट की बांयी जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने पर आरोपी के पहनने हेतु पेन्ट मंगवाया जाकर पहने हुए पेन्ट को ससम्मान उतरवाकर दुसरा पेन्ट पहनाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री दीपक डिन्डोर का पेन्ट

(जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई) की बांयी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की बांयी जैब को सुखवाकर जैब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेन्ट बरंग हल्का आसमानी को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर मार्क "पी" अंकित करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री दीपक डिन्डोर से परिवादी श्री विनोद कुमार भोई के किराणा दुकान लोन बाबत् पत्रावली के बारे में पुछा तो उन्होने बताया कि परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम बांसवाडा का अतिरिक्त कार्यभार हेमांगी निनामा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बांसवाडा के पास है। श्री विनोद खेर भोई की लोन पत्रावली अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में पडी होना बताया। जिस पर श्री दीपक डिन्डोर द्वारा उनके कार्यालय कक्ष की अलमारी से परिवादी श्री विनोद की लोन पत्रावली मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा की निर्धारित प्रफोर्मा कार्यालय टिप्पणी दिनांक 28.02.2023 को श्री दीपक डिन्डोर द्वारा की गई है तथा टिप्पणी पर परियोजना प्रबंधक के भी हस्ताक्षर अंकित है तथा कार्यालय के पत्रांक 61 दिनांक 27.03.2023 द्वारा राशि हस्तांतरण आदेश के कम संख्या 01 पर परिवादी श्री विनोद को 30,000 रुपये प्रथम किश्त जारी की गई है एवं परिवादी श्री विनोद खेर भोई के इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपये लोन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई है जिस पर हेमांगी निनामा परियोजना प्रबंधक के हस्ताक्षर है स्वीकृति पर क्रमांक व दिनांक अंकित नही है तथा पत्रावली में परिवादी के लोन आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न है। समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री विनोद खेर भोई व आरोपी श्री दीपक डिन्डोर की निशांदेही पर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामील कार्यवाही किया गया। समय 02.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 24.05.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व श्री परख जैन संविदा कमप्युटर ऑपरेटर से वार्तालाप हुई है जिस संबध में कार्यालय अनुजा निगम में उपस्थित श्री परख जैन पुत्र सुखपाल जैन जाति जैन उम्र 26 वर्ष निवासी बाहुबील कोलोनी गली नम्बर 06 ए जैन मन्दिर के पास बांसवाडा से पुछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 24.05.2023 को सायंकाल को कार्यालय में उपस्थित था तो आवेदक श्री विनोद भोई आये थे उनके द्वारा श्री दीपक डिन्डोर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के बारे में पुछा था तो मैने इनसे वार्तालाप की तो इनके द्वारा पेमेन्ट देने आना बताया था तो मैने कितना देना है इत्यादि पुछा था। यह पेमेन्ट किस बात का है मुझे इसकी कोई जानकारी नही थी। समय 03.00 पीएम पर तलबिदा शुदा हेमांगी निनामा कार्यवाहक परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम बांसवाडा उपस्थित आये जिनकों परिवादी श्री विनोद खेर भोई की मूल लोन पत्रावली का अवलोकन कराया गया तो परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग योजना के लिय स्ट्रीट वेंडर व्यवसाय हेतु श्री विनोद खेर भोई पुत्र श्री छितरमल खेर जाति ओबीसी निवासी कालिका माता मन्दिर के पीछे वार्ड नम्बर 38 बांसवाडा द्वारा दिनांक 25.02.2023 को पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन की जाकर श्री विनोद खेर भोई द्वारा पत्रावली कार्यालय परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम बांसवाडा में जमा कराई जाने पर दिनांक 28.02.2023 को अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा में पदस्थापित श्री दीपक डिन्डोर सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा आवेदन फार्म व दस्तावेजों की जांच कर आवेदक श्री विनोद खेर भोई के लोन पात्र होने बाबत् टिप्पणी अंकित की गई। जिस पर मेरे द्वारा उक्त योजना में 50 हजार रुपये का किराणा दुकान हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था। इसके बाद नियमानुसार कार्यालय के पत्रांक 61 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा राशि हस्तान्तरण आदेश जारी किया था जिसमें कम संख्या 01 पर श्री विनोद खेर के प्रथम किश्त 30,000 रुपये की राशि उसके बैंक खाते में ऑन लाईन जमा कराई गई है। इसके बाद आवेदक को किराणा दुकान की सामग्री क्रय बाबत् बिल व दुकान के साथ आवेदक का फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करने पर अन्तिम किश्त राशि जरिये ऑन लाईन उनके बैंक खाते में जमा कराई जाती है। इसकी ऋण पत्रावली दीपक के पास ही थी तथा ऋणी से बिल व फोटो दीपक को ही लेने थे व फिर बकाया ऋण राशि जारी करने की अनुशंषा दीपक द्वारा ही की जाकर पत्रावली मेरे पास अनुमोदन हेतु आने पर मैं स्वीकृति जारी करती। परिवादी के ऋण की दुसरी किश्त जारी करने संम्बन्धीत परिवादी का कार्य दीपक के पास पेन्डिग था। यदि श्री दीपक डिन्डोर सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा आवेदक श्री विनोद खेर भोई से अगर कोई राशि मांगकर ग्रहण की गई है तो वह रिश्वत राशि ही मानी जायेगी। हेमांगी निनामा परियोजना प्रबंधक को परिवादी विनोद की मूल ऋण पत्रावली सुपूर्द करते हुए प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामील कार्यवाही की गई। समय 03.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरोपी श्री दीपक डिन्डोर व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री माजिद कानि मय जप्त शुदा रिश्वत राशि 03 हजार रूपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शीशीया मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच.–02 एवं पी–01 व पी–02 तथा सीलचीट शुदा पेन्ट पैकेट इत्यादि मय ट्रेप बाक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के जरिये प्राईवेट कार तथा परिवादी श्री विनोद खेर भोई थ्री विलर मोपेड पर एवं स्वतंत्र गवाह श्री भरत दोसी व श्री राजेन्द्र त्रिवेदी तथा ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक निजी मोटर साईकिलों से कार्यालय अनुजा निगम बांसवाडा से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 03.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरोपी श्री दीपक डिन्डोर व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री माजिद कानि मय जप्त शुदा रिश्वत राशि 03 हजार रूपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शीशीया मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच.–02 एवं पी–01 व पी–02 तथा सीलचीट शुदा पेन्ट पैकेट इत्यादि मय ट्रेप बाक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के जरिये प्राईवेट कार तथा परिवादी श्री विनोद खेर भोई थ्री विलर मोपेड पर एवं स्वतंत्र गवाह श्री भरत दोसी व श्री राजेन्द्र त्रिवेदी

तथा ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक निजी मोटर साईकिलों से ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचे। दर्ज रहे कि आरोपी श्री दीपक डिन्डोर मूल निवासी गांव मेराना तहसील सज्जनगढ़ का रहने वाला है परन्तु शहर बांसवाडा में वार्ड नम्बर 01 भारत नगर एकलव्य स्कुल के पीछे पिपलोद बांसवाडा में अपने परिवार सहित निवास करता है जिसकी नियमानुसार खाना तलाशी पृथक से ली जायेगी और मकान की निगरानी हेतु श्री माजिद खान कानि को मुनासिब हिदायत के आरोपी के रिहायशी मकान एकलव्य नगर पिपलोद बांसवाडा के लिये रवाना किया गया। समय 03.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 26.05.2023 को आरोपी श्री दीपक डिन्डोर एवं परिवादी श्री विनोद खेर भोई बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री दीपक डिन्डोर का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 04.30 पीएम पर आरोपी श्री दिपक डिन्डोर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.45 पीएम पर आरोपी श्री दीपक डिन्डोर को निगरानी हेतु श्री पंकज कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 को मामुर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक, श्रीमती पुनम महिला कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से आरोपी निवास वार्ड नम्बर 01 भारत नगर एकलव्य स्कुल के पीछे पिपलोद बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 04.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी दीपक डिन्डोर के निवास वार्ड नम्बर 01 भारत नगर एकलव्य स्कुल के पीछे पिपलोद बांसवाडा पहूंचा जहां पर पूर्व से निगरानी हेतु पाबंदशुदा श्री माजिद खान कानि उपस्थित मिला खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के आरोपी श्री दीपक डिन्डोर के निवास वार्ड नम्बर 01 भारत नगर एकलव्य स्कुल के पीछे पिपलोद बांसवाडा से ब्यूरो इकाई, बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। समय 06.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के आरोपी श्री दीपक डिन्डोर के निवास वार्ड नम्बर 01 भारत नगर एकलव्य स्कुल के पीछे पिपलोद बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई, बांसवाडा पहूंचा जहा आरोपी श्री दीपक डिन्डोर व ब्यूरो जाप्ता उपस्थित मिला। समय 07.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा रिश्वत राशि 3,000 रुपये आरोपी श्री दीपक डिन्डोर के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की बांयी जैब का धोवन की शिशियां मार्क पी–1 व पी–2, जप्त शुदा पेन्ट पैकेट, मार्क ''पी'' प्रकरण में रिकोर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव के सीलचीट शुदा पैकेट, डब सीडीयां इत्यादि श्री राजेश कुमार कानि को सूपुर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 08.00 पीएम आरोपी श्री दीपक डिन्डोर का मेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा को तहरिर जारी कर एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने बाबत् थानाधिकारी के नाम तहरिर जारी कर आरोपी श्री दीपक डिन्डोर हमराह श्री माजिद खांन कानि0, मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 09.10 पीएम पर श्री माजिद खां कानि0 व मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री माजिद खां कानि0 द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में आरोपी को जमा कराने की रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री दीपक डिन्डोर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री विनोद खेर भोई के इन्दिरा गांधी शहरी केडिट कार्ड योजना 2021 के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग योजना में लिये स्ट्रीट वेंडर व्यवसाय हेतु दिनांक 25.02.2023 को पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जाकर आवेदन पत्रावली कार्यालय परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम बांसवाडा में जमा कराई जाने पर दिनांक 28.02.2023 को अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा में पदस्थापित आरोपी श्री दीपक डिन्डोर सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा आवेदन फार्म व दस्तावेजों की जांच कर परिवादी के लोन पात्र होने बाबत् टिप्पणी अंकित की गई। जिस पर परियोजना प्रबंधक द्वारा उक्त योजना में 50 हजार रुपये का किराणा दुकान हेतु ऋण स्वीकृत किया गया तथा अनुजा निगम कार्यालय बांसवाडा के पत्रांक 61 दिनांक

27.03.2023 के द्वारा राशि हस्तान्तरण आदेश जारी किया जाकर परिवादी को प्रथम किश्त 30,000 रुपये की राशि उसके बैंक खाते में ऑन लाईन जमा कराई गई है। इसके बाद आवेदक को किराणा दुकान की सामग्री कय बाबत् बिल व दुकान के साथ आवेदक का फोटो कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर अन्तिम किश्त जारी की जानी थी जिसके लिये आरोपी श्री दीपक डिन्डोर ने परिवादी से लोन स्वीकृत एवं बकाया किश्त जारी कराने हेतु टिप्पणी अंकित करने के लिये 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई जिस पर दिनांक 24.05.2023 को नियमानुसार रिश्वत मांग का सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 2,000 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई। दिनांक 26.05.2023 को नियमानुसार स्वतंत्र गवाह तलब कर ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर आरोपी श्री दीपक डिन्डोर को परिवादी से बकाया रिश्वत राशि 3,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकडा गया है। इस प्रकार आरोपी दीपक डिन्डोर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनयिम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री दिपक डिन्डोर पिता श्री लालसिंह डिन्डोर उम्र 32 वर्ष निवासी गांव मेराना पोस्ट खुन्दनीहाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक डिन्डोर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 131/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 992-95 दिनांक 27.5.2023
प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

27.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।